

शा.मि.

म

24/06/2022



माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय सीकर

भागीरथ

बनाम

नदीम

मु.नं. 60/2019

प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आवेदन

विज्ञा किए जाने हेतु

महोदय,

सादर निवेदन है कि उक्त उनवानी स्थगन आवेदन में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा प्रार्थी अपना आवेदन स्थगन आगे नहीं चलाना चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का स्थगन आवेदन विज्ञा करके खारिज किए जाने की कृपा करे।

दिनांक 23.06.2022

प्रार्थी

भागीरथ पुत्र हनुमानाराम जाति जाट
निवासी कटराथल तहसील व जिला
सीकर राज0

म. नदीम
23.6.22